(ii) West Coast Konkan Railway

(iii) Kottur-Harinar

(iv) Chamrajnagar-Sathyamanglam-Mettupalyam.

Of the above, two works namely Bangalore-Mysore gauge conversion and Mangalore-Roha West Coast Konkan Railway line have been sanctioned and already taken up. Proposals for the other projects have been examined but these could not be considered for sanction as they were found to be financially unremunerative.

Conversion of Rajkot-Veraval Metre Gauge Line into Broad Gauge Line

866. SHRI VITHALBHAI M. PATEL: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

(a) whether survey has been completed on the proposal for conversion of Rajkot-Veraval metre gauge railway line into broad gauge railway line and extension upto Kodinar;

(b) whether it is also a fact that the proposed line is viable and remunerative; and

(c) whether Government have taken any decision on this proposal?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI MALLIKARJUN): (a) and (b) No, Sir. As a result of examination of the Preliminary Engineering-cum-Traffic Survey Report, certain alternatives were identified which were required to be studied before a decision could be taken.

(c) decision would be taken based on result of study indicated in (a) and (b) above and availability of resources in the coming years.

सभी राज्यों में फसल बीमा योजना को लागू किया जाना

867. श्री राधाकिशन मालवीय : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार सभी राज्यों में अनिवार्य फसल बीमा योजना लागू करने का विचार रखती है ;

(ख) यदि हां, तो क्या बैंक ऋणों पर आधारित न रहने वाले किसानों की फसलों का भी बीमा किया जायेगा; और

(ग) क्या सरकार इस योजना को इस तरह से लागू करने का विचार रखती है कि सभी श्रेणी के किसानों को नुकसान के एवज में मुआवजा मिल सके ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) और (ख) जी, नहीं ।

(ग) विस्तृत फसल बीमा के तहत, किसानों की कृषि जोतों के आधार पर ध्यान दिये बिना, क्षतिपूर्ति दावे संदेय है । क्षतिपूर्ति दावे उन किसानों को संदेय है जो बीमाकृत फसलों को उगाने के लिये सहकारी ऋण संस्थाओं/क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों अथवा वाणिज्यिक बैंकों से फसल ऋण लेते है । क्षतिपूर्ति का आधार यह है कि यदि उक्त योजना के तहत अधिसूचित क्षेत्र में बीमाकृत फसलों के प्रति एकड़ वास्तविक औसत उत्पादन में कमी आती है, जो विनिर्दिष्ट गारंटी दिये गये उत्पादन से कम हो, तो उस क्षेत्र के सभी किसानों को अपने-अपने उत्पादन में कमी से ग्रसित समझा जाता है तथा वे क्षतिपूर्ति के हकदार होते हैं ।